प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–......... 2022............
प्र0सू0रि0 सं ....415/22.................दिनांक...........19/10/2022.........
2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018......धाराए .... 7 ....
(2) अधिनियम....................................धाराए....................................
(3) अधिनियम....................................धाराए....................................
(4) अन्य अधिनियम एवं ....धाराएं....................................
3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार ....दिनांक :–...18.10.2022.....समय : 01.25 पीएम................
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–..........................14.09.2022.....समय : 03.00 पीएम................
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....343......... समय..........6:30 pm..........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से पूर्व–दक्षिण दिशा बफासला करीब 70 किमी
बीट संख्या..जुरामदेही सं.......................................
(ख) पताः– पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम.. जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री कलविन्द्र
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री बलदेव सिंह
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 38 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.......................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान........................
(च) व्यवसायः– –
(छ) पता :– निवासी रिड़मलसर तहसील पदमपुर हाल निवास वार्ड न. 17 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
1. सुरेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 49 साल निवासी ग्रा0पो0 देवजी का थाना, तहसील हिंडौली जिला बूंदी हाल मुख्य आरक्षक न. 115 पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठ्या(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)................

परिवादी कलविन्द्र सिंह की रिपोर्ट पर द्वारा पुलिस थाना पीलीबंगा में समनदीप सिंह के विरूद्ध धोखाधड़ी कर कार ले जाने सम्बधी दर्ज मुकदमा सं. 394/22 के अनुसंधान अधिकारी आरोपी सुरेश कुमार मु0आ0 115 पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा मुकदमा में प्रभावी कार्यवाही करने व इमदाद करने के बदले परिवादी कलविन्द्र सिंह से दिनांक 19.09.22 को वक्त सत्यापन 5000/रूपये प्राप्त करना व वक्त ट्रेप दिनांक 18.10.22 को पुलिस थाना पीलीबंगा में 5000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर रंगे हाथो गिरफ्तार करना आदि आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– ......5,000/रू...
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

सेवामें,

श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ। विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय,. उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं कलविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह उम्र 38 वर्ष जाति रामगढिया निवासी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर रहने वाला हूँ। मेरी रहमत ट्रेडिंग नाम से फर्म है, जो कि पीलीबंगा में स्थित है, जहां मै पशु आहार का बैचान कार्य करता हूँ। मै समनदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से मेरी इग्निश गाड़ी आरजे–13–सीसी–4603 ले जाने बाबत पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। उक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद पदमपुर निवासी मानव जिंदल और समनदीप सिंह ने मेरे

32

खिलाफ झूठा परिवाद पदमपुर थाने में दर्ज करवा दिया था, मेरे द्वारा पुलिस थाना पीलीबंगा में एफआईआर 394/22 दर्ज करवाया गया था, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश शर्मा नही की गई है, मुझे पुरा विश्वास है, वो मेरे से बिना पैसे लिये कार्य नही करना चाहते, मै मेरे जायज कार्य हेतु श्री सुरेश शर्मा को रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ, मेरी सुरेश शर्मा से कोई दुश्मनी नही है न ही कोई लेन देने बकाया है, कृपा उक्त विषय में कार्यवाही करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी एसडी कलविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, उम्र 38 वर्ष जाति रामगढिया निवासी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर मो0न0 94146-31535

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :- 14.09.2022
समय :- 03.00 पीएम
स्थानः- ब्यूरो कार्यालय, हनुमानगढ

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री कलविन्द्र सिह पुत्र बलदेव सिह, जाति रामगढिया उम्र-38 वर्ष निवासी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक के नाम का एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किया। मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखकर उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी रहमत ट्रेड़िग कम्पनी नाम से फर्म है जो कि पीलीबंगा में स्थित है, जहां मैं पशु आहार का बैचान कार्य करता हूं, मैने समनदीप सिह के खिलाफ धोखाधड़ी से मेरी इग्नीश गाड़ी आरजे-13-सीसी-4603 ले जाने के बाबत पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था उक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद पदमपुर निवासी मानव जिन्दल और समनदीप सिह ने मेरे खिलाफ झूठा परिवाद पदमपुर थाने में करवा दिया था। मेरे द्वारा पुलिस थाना पीलीबंगा में एफ.आई.आर. 394/22 दर्ज करवाया गया, मुकदमा में अभी तक कोई कार्यवाही अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश शर्मा हवलदार जी द्वारा नहीं की गई है, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे से बिना पैसे लिये कार्य नहीं करना चाहते है मैं मेरे जायज कार्य हेतु श्री सुरेश शर्मा को रिश्वत नहीं देकर उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं मेरी सुरेश शर्मा हवलदार से कोई दुश्मनी नहीं है न ही कोई लेन देन बकाया है, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्री कलविन्द्र सिह को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उसने स्वीकृति प्रदान की, फिर परिवादी श्री कलविन्द्र सिह से ब्यूरो स्टाफ के श्री संदीप कानि0 से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री कलविन्द्र सिह को गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश गई, परिवादी ने बताया की मैं श्री सुरेश शर्मा हवलदार की उपस्थिति का पता करके आपको या संदीप कानि. को बता दूगां, आप संदीप कानि. को भेज देना मैं श्री सुरेश शर्मा से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूगां, इस पर परिवादी कलविन्द्र सिह को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया व संदीप कानि0 को आवश्यक हिदायत दी गई। **दिनांक 16.09.22 वक्त** 02.15 पीएम पर सत्यापन हेतु रवाना शुदा श्री संदीप कानि. ने ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार आज सुबह 8 बजे ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर पीलीबंगा पहुंचा, जहां पर गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री कलविन्द्र सिह उपस्थित मिला, जिसे मैने ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया, परिवादी रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु पुलिस थाना पीलीबंगा में चला गया मै गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया, कुछ देर बाद परिवादी मेरे पास वापिस आया जिससे ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर वापिस प्राप्त कर बंद किया व परिवादी कलविन्द्र सिह ने बताया की श्री सुरेश शर्मा हवलदार से मेरे कार्य के संबंध में वार्ता तो हुई, लेकिन उससे रिश्वत के सम्बधं में वार्ता नही हुई है, उन्होने मुझे फिर बुलाया है, इस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उक्त तथ्यों की ताईद हुई। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग नहीं की गई है जिस कारण आईन्दा पुनः सत्यापन कार्यवाही की जायेगी। फिर **दिनांक 19.09.2022** वक्त 11.00 एएम पर संदीप कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर रिश्वत मांग का पुनः सत्यापन करवाने हेतु पीलीबंगा की तरफ रवाना किया, जिसने वक्त 03.00 पीएम पर वापस आकर ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैंने निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर पीलीबंगा पहुंचकर परिवादी श्री कलविन्द्र सिह को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु पुलिस थाना पीलीबंगा में भेजा था, जिसने कुछ देर बाद वापिस आकर ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर बताया कि मेरी श्री सुरेश शर्मा हवलदार से मेरे कार्य के संबंध में वार्ता के दौरान उसने मेरे से पांच हजार रूपये मेरे काम करने के संबंध में रिश्वत के लिए है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला है उन्होने मुझे फिर बुलाया है। फिर **दिनांक 26.09.2022 वक्त** 05.00 पीएम पर पुनः सत्यापन हेतु रवाना शुदा श्री संदीप कानि. ने ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै निर्देशानुसार आज सुबह 11 बजे ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सहित रवाना होकर पीलीबंगा पहूंचा, जहां पर गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री कलविन्द्र सिह उपस्थित मिला, जिसे मैंने ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू हालत में सुपुर्द कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु पुलिस थाना पीलीबंगा में भेजा था, जो कुछ देर बाद वापस आया जिससे ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर वापिस प्राप्त कर बंद किया व परिवादी कलविन्द्र सिह ने बताया कि मेरी श्री सुरेश शर्मा हवलदार से मेरे कार्य के संबंध में वार्ता के दौरान उसने मेरे से पूर्व में ली गई रिश्वत

32

5000/—रूपये की हामी भरते हुए 10,000/—रूपये लिखकर और मांगे, मेरे द्वारा उसे कुछ कम का कहने पर पांच हजार रूपये लेने हेतु सहमत हुआ है। परिवादी ने बताया की श्री सुरेश शर्मा हवलदार को कल सुबह ही रिश्वत राशि दूंगा। परिवादी पीलीबंगा ही रूक गया है। इस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उक्त तथ्यों की ताईद हुई। दिनांक 26.09.22 को ही नवरात्रा स्थापना का अवकाश होने से जरिये दूरभाष गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता के तहत वक्त 05.15 पीएम पर अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ़ को अपने अधीनस्थ दो सरकारी कार्मिकों को पांबद कर दिनांक 27.09.2022 को सुबह 08.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में भिजवाने हेतु जरिये दूरभाष निवेदन किया गया। फिर वक्त 6.00 पीएम पर परिवादी श्री कलविन्द्र सिह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया और परिवादी ने दिनांक 16.09.2022, 19.09.2022 व दिनांक 26.09.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ताओं की ताईद की और बताया की श्री सुरेश शर्मा हवलदार द्वारा मेरे से पूर्व में ली गई रिश्वत 5000/—रूपये की हामी भरते हुए मेरे से 10,000/—रूपये लिखकर और मांगे, मेरे द्वारा उसे कुछ कम का कहने पर पांच हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ है, जिस पर डिजिटल वार्यस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहान एक कपड़े की थैली में सील चिट किया गया व एक डी.वी.डी. को खुला रखा गया। परिवादी कलविन्द्र सिह ने बताया की आरोपी सुरेश शर्मा हवलदार को मैं कल सुबह ही रिश्वत राशि के 5000/—रूपये दूंगा, इस पर परिवादी कलविन्द्र सिह को रिश्वत राशि 5000/—रूपये की व्यवस्था कर सुबह जल्दी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। **दिनांक 27.09.2022 वक्त** 08.30 एएम पर सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ़ से तलविदा गवाह श्री उमाशंकर वर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री सुरेश कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री कलविन्द्र सिह ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पर उपस्थित आया। जिस पर परिवादी श्री कलविन्द्र सिह व स्वतन्त्र गवाहान श्री उमाशंकर वर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री सुरेश कनिष्ठ सहायक का आपसी परिचय करवाया गया व गवाहान को परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुसिल के निर्देशानुसार परिवादी ने ने आरोपित को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच–पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/— रूपये मुझ उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :—

क्र.स.	नोटों का विवरण	नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3UC 777872
2	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6QH 054334
3	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8BB 194839
4	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9RE 473709
5	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1BD 644280
6	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3RC 845149
7	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7ET 105706
8	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2SL 744640
9	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7DR 766398
10	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2BU 833919

तत्पश्चात रूबरू गवाहन श्रीमती कमलजीत कौर महिला कानि. 494 से मालखाना में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह श्री उमाशंकर वर्मा कनिष्ठ सहायक से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,000/रूपये को श्रीमती कमलजीत कौर महिला कानि. से ही परिवादी के पहनी पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब में सावधनी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्रीमती कमलजीत कौर महिला कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को फिंकवाकर गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को रिश्वती

लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत दी गई कि वह आरोपी से मिलने से पहले वॉईस रिकॉर्ड को भली भान्ति चालू कर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 09.25 एएम पर परिवादी को उसके निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर मन उपअधीक्षक पुलिस मय श्री उमाशंकर वर्मा व श्री सुरेश स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो स्टाफ श्री गुलाम कादर सउनि., हसंराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कानि0, श्री राजेश कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री संजीव कानि., विनय विशाल कानि., श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा0, जरिये सरकारी बोलेरो गाड़ी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना पीलीबंगा के पास गोपनीय स्थान पर पहुंच आरोपी की मौजूदगी का गोपनीय रूप से मालूमात करवाया तो आरोपी पुलिस थाना में मौजूद होना नहीं पाया गया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी व मय हमराहीयान के पीलीबंगा से बाहर गोपनीय स्थान पर मुकिम हुआ। वक्त 03.15 पीएम पर आरोपी के पुलिस थाना पीलीबंगा में मौजूद होने की गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु उसके निजी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना पीलीबंगा की ओर रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना पीलीबंगा के नजदीक पहुंचा व ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 03.45 पीएम पर परिवादी कलविन्द्र सिह पुलिस थाना पीलीबंगा से बिना कोई ईशारा किये अपने मोटरसाईकिल से रवाना हो गया, जिसके पीछे–पीछे मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवाना होकर गोपनीय स्थान पर पहुंचे, जहां परिवादी ने बताया की श्री सुरेश शर्मा हवलदार पुलिस थाना पीलीबंगा में मौजूद मिला जिसने मुझे कहा की आज मै व्यस्त हूं आईदा तेरे से सम्पर्क कर लूंगा और मुझे रवाना कर दिया। इस पर परिवादी कलविन्द्र सिह से रिश्वत में प्रयुक्त राशि 5000/–रूपये के नोटो को संदीप कानि. के जरिये उसकी जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में रखवायी गई व ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जाकर परिवादी कलविन्द्र सिह को मौके से आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया, तत्पश्चात मन् उपअधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहूंचा। जहां रिश्वत में प्रयुक्त राशि 5000/–रूपये व ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री हंसराज मु0आ0 के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवाया गया, दोनो गवाहन को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दर्ज रहे कि मन उप अधीक्षक पुलिस को ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार चौकी भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ का अतिरिक्त कार्यभार सुपुर्द किया गया था, जो दिनांक 10.10.2022 को श्री रविन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बीकानेर द्वारा इस मामला में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मुझ उप अधीक्षक पुलिस को ही निर्देशित किया गया, जिस कम में परिवादी कलविन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर की जा रही ट्रेप कार्यवाही से सम्बधिंत कागजात एवं फर्दात मय शील्ड व अनशील्ड डीवीडी, कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/रूपये के नम्बरी नोटो को अग्रिम कार्यवाही हेतु हमराह लेकर चौकी भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर पहूंचा कार्यवाही से सम्बधिंत वजह सबूत सुरक्षित हालत में मालखाना में रखवाये गये। दिनांक 17.10.22 को वक्त 9.00 पीएम परिवादी कलविन्द्र सिंह ने जरिये दूरभाष बताया कि आरोपी सुरेश शर्मा हवलदार कल थाना पर मिलेगा। इस पर परिवादी को निर्देश दिये कि वह कल करीब 12.15 पीएम पर पीलीबंगा में ही उपस्थित मिले। ट्रेप कार्यवाही के गवाहान श्री उमाशंकर क0स0 व श्री सुरेश कुमार क0स0 सानिवि हनुमानगढ के है, जिन्हे दिनांक 18.10.22 को 12.30 पीएम पर पीलीबंगा पहूंचने हेतु जरिये दूरभाष निर्देश दिये गये। वक्त 11.30 एएम पर श्री जगदीश राय हैड कानि0 से मालखाना में सुरक्षित रखी ट्रेप राशि 5000/रूपये निकलवाकर सरकारी टवेरा गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टाफ सदस्यो श्री हंसराज एएसआई, श्री जगदीश राय मु0आ0, श्री बजरंगलाल कानि0, श्री नरेश कुमार कानि0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0 एवं विजय प्रसाद कानि0 के मय लेपटोप–प्रिन्टर एवं ट्रेप सामग्री हमराह लेकर सरकारी व प्राईवेट कार से रवाना होकर कस्बा पीलीबंगा में गोपनीय स्थान पर पहूंचा, जहां दूरभाष पर हुई वार्ता के कम में ट्रेप कार्यवाही के परिवादी कलविन्द्र सिंह तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री उमाशंकर व श्री सुरेश कुमार उपस्थित मिले। श्री विजय प्रसाद कानि0 से सरकारी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखी ट्रेप राशि 5000/रूपये मंगवायी गई। ट्रेप राशि के नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी से करवाने के पश्चात श्री विजय प्रसाद कानि0 से ही रूबरू मौतबिरान ट्रेप राशि 5000/रूपये परिवादी कलविन्द्र सिंह के पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाकर पूर्वानुसार निर्देश दिये गये। ट्रेप राशि पर पूर्व से फिनोपथलीन पाउडर लगा हुआ है। इसके श्री विजय प्रसाद कानि0 के हाथो को साफ साबुन पानी से धुलवाकर मौका पर गाड़ी में ही रहने के निर्देश दिये गये। परिवादी को रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करवाने हेतु डिजीटल टेप रिकॉर्डर दिया गया। वक्त 01.05 पीएम पर परिवादी श्री कलविन्द्र को उसकी मोटरसाईकिल पर रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो सरकारी गवाहान व हमराही ब्यूरो स्टाफ के प्राईवेट व सरकारी वाहनो से पुलिस थाना पीलीबंगा की ओर रवाना हुये। परिवादी कलविन्द्र सिंह आगे आगे चलता हुआ, पुलिस थाना पीलीबंगा में प्रवेश कर गया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हमराही गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्य उक्त वाहनो में पुलिस थाना के पास पहूंचकर पुलिस थाना के ईद–गिर्द ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 01.25 पीएम पर परिवादी कलविन्द्र सिंह से ट्रेप का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब पुलिस थाना पीलीबंगा परिसर में थाना भवन के मुख्य गेट के पास खड़े परिवादी कलविन्द्र सिंह के पास पहूंचा, तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश कर बताया कि सुरेश कुमार हवलदार अपने कार्यालय कमरा न0 18 में बेठा है, जिसने मेरे द्वारा समनदीप सिंह के खिलाफ दर्ज करवाये गये मुकदमा न. 394/22 में कार्यवाही करने के बदले 5,000/रूपये रिश्वत लेकर अपने पहनी

वर्दी की पेंट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये है, इस पर परिवादी कलविन्द्र सिंह को भी साथ लेते हुए मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही गवाहान व स्टाफ सदस्यो के पुलिस थाना पीलीबंगा के कमरा नम्बर 18 के सामने पहूंचा तो कमरा में सामने कुर्सी पर बैठा बावर्दी मुख्य आरक्षक ने खड़े होकर अपने पहनी पेंट की दाहिनी जेब से राशि निकालकर अपने मेज की दाहिनी साईड की दराज में रख दिये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस कमरा में प्रवेश हुआ एवं उक्त बावर्दी मुख्य आरक्षक को अपना व हमराही सदस्यों का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली देकर पुनः पूछने पर उसने अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण उम्र 49 साल निवासी ग्रा0पो0 देवजी का थाना, तहसील हिंडौली जिला बूंदी हाल मुख्य आरक्षक न. 115 पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ होना बताया। फिर आरोपी सुरेश कुमार से परिवादी कलविन्द्र सिंह से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि इस कलविन्द्र सिंह ने समनदीप सिंह निवासी तामकोट तहसील पदमपुर के खिलाफ अपनी कार उठा ले जाने का मुकदमा सं. 394/22 अन्तर्गत धारा 420, 406 भादसं. पुलिस थाना पीलीबंगा में दर्ज करवाया गया था, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है, इस प्रकरण में मुल्जिम समनदीप सिंह की गिरफ्तारी पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 13.09.22 के द्वारा स्थगन किया हुआ है, मेरे द्वारा इस मुकदमा में परिवादी कलविन्द्र सिंह की कार को जब्त कर लिया है तथा प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है, मैने इस कलविन्द्र सिंह से कोई रिश्वत नही मांगी थी, इसने खुद चलकर पहले दिनांक 19.09.22 खुद चलकर मेरे को 5000/रूपये दिये थे, आज भी इसने कुछ देर पहले यहां आकर मेरे को 5000/रूपये दिये थे, जो मेरी मेज की दराज में है। इस पर परिवादी कलविन्द्र सिंह ने बताया कि मेरा मण्डी पीलीबंगा में रहमत ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से पशु आहार का व्यापार है, इस व्यापार को लेकर मेरा व समनदीप सिंह का व्यापारिक सम्बधं है, दिनांक 11.08.22 को समनदीप सिंह मेरे पास पीलीबंगा में आया था और थोड़ी देर के लिये मेरी कार न0 आरजे–13–सीसी–4603 मांगकर ले गया था, जिसके द्वारा मेरी कार वापस नही लौटाने पर पुलिस थाना पीलीबंगा में समनदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी करके मेरी कार ले जाने का परिवाद दिया था, जिस पर पुलिस थाना पीलीबंगा में समनदीप के खिलाफ मुकदमा नम्बर 394/22 दिनांक 16.08.22 दर्ज हुआ था, इस मुकदमा में श्री सुरेश शर्मा हवलदार तफ्तीश कर रहे है, इनके द्वारा मेरे मुकदमा में बिना पैसे दिये कोई कार्यवाही नही की जा रही थी, जिस कारण समनदीप सिंह को टाईम मिलने से उसने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था, मेरे द्वारा बार–बार कार्यवाही करने का निवेदन करने के बावजूद भी यह सुरेश जी शर्मा मेरे मुकदमा में कार्यवाही नही कर रहे थे और मेरे से रिश्वत की अपेक्षा कर रहे थे, इस पर मेरे द्वारा दिनांक 14.09.22 को आपको एसीबी कार्यालय हनुमानगढ में एक लिखित रिपोर्ट सुरेश शर्मा हवलदार के खिलाफ कार्यवाही हेतु दी थी, जिस पर आपके द्वारा दिनांक 19.09.22 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान इन्होने मेरे से मांगकर रिश्वत के 5000/रूपये लिये थे, उसके बाद दिनांक 26.09.22 को पुनः रिश्वत की मांग के सत्यापन के दौरान इन्होने कागज पर लिखकर 10,000/रूपये और रिश्वत की मांग की थी, जिस पर मेरे द्वारा कम करने का कहने पर ये 5000/रूपये लेने पर सहमत हुये थे, इसी क्रम में मैने आज इनके मांगने पर ही 5000/रूपये रिश्वत के दिये थे, जो इन्होने लेकर अपनी पहनी वर्दी की पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये थे। इस पर आरोपी सुरेश कुमार मु0आ0 से पुनः रिश्वत के सम्बधं में पूछा तो कहा कि मैने इससे कोई रिश्वत नही मांगी थी, इसने खुद चलकर राजी खुशी से दोनो बार मेरे को 5000–5000/रूपये दिये है। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी सुरेश कुमार के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी सुरेश कुमार के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी टवेरा गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी सुरेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी सुरेश कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन **मटमैला** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'एल–1, एल–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी सुरेश कुमार से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने अपने मेज की दराज में होना बताया, जिस पर हमराही गवाह श्री उमाशंकर से आरोपी के मेज की दाहिनी साईड की उपरी दराज को दिखवाया तो गवाह ने दराज में 500–500/रूपये के नोट पड़े होना बताया। जो मेरे निर्देश पर गवाह ने उठाकर गिने तो 500–500/रूपये के दस नोट कुल 5,000/रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का फर्द में अंकन करवाकर उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि मेज की दराज में एक रफ सफेद कागज जो पिन अप किया हुआ है, पर रखी हुई बरामद हुई है। इस कागज का ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर उक्त कागज को उक्त घोल में डूबोकर धोवन लिया तो धोवन का रंग **मटमैला** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा

Cr/

भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'के–1, के–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात धोवन लिया गया उक्त कागज को सुखाकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर एक पीले रंग के लिफाफा में डालकर सील चिट किया गया। चूंकि आरोपी द्वारा ट्रेप पार्टी के उस तक पहूंचने पर पेंट की जेब में रखी रिश्वत राशि जल्दी से मेज की दराज में रखी गई है, इसलिये आरोपी के पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब का भी धोवन लिया जाना आवश्यक है, जिस पर एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाया। फिर आरोपी सुरेश कुमार को पहनने हेतु दूसरी पेंट दी जाकर आरोपी के पहनी हुई वर्दी की पेंट को उतरवाकर पेंट की दाहिनी साईड की जेब को उलट कर तथा जेब में रखे रूमाल दोनो को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग **मटमैला** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'पी–1, पी–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात धोवन ली गई पेंट व रूमाल को सुखाकर उस पर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी सुरेश कुमार से परिवादी कलविन्द्र सिंह द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा सं. 394/22 की पत्रावली बाबत पूछा तो आरोपी ने अपने कमरा में रखी लोहे की अलमारी में से एक पत्रावली निकालकर पेश की। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर मूल अनुसंधान पत्रावली श्री लालचन्द एच0एम0 थाना के सुपुर्द की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। तत्पश्चात आरोपी सुरेश कुमार मु0आ0 को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कशीद किया गया। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। आरोपी सुरेश कुमार मु0आ0 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा पर हमराही जाब्ता के साथ भिजवाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी कलविन्द्र सिंह व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री उमाशंकर क0स0 व श्री सुरेश कुमार क0स0 को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी सुरेश कुमार व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत आठ शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 5000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा जिन्स पेंट, शील्डशुदा सफेद कागज, दो शील्डशुदा सीडी आदि श्री जगदीश राय मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। आरोपी सुरेश कुमार मु0आ0 को माननीय सेशन न्यायालय, भ्र0नि0 श्रीगंगानगर में समक्ष पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश फरमाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी कलविन्द्र सिंह द्वारा पुलिस थाना पीलीबंगा में समनदीप सिंह के विरूद्ध धोखाधड़ी कर कार ले जाने का मुकदमा सं. 394/22 दर्ज करवाया गया था, जिसका अनुसंधान आरोपी सुरेश कुमार मु0आ0 115 पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा किया जा रहा था। आरोपी द्वारा कलविन्द्र सिंह से उक्त मुकदमा में प्रभावी कार्यवाही करने व इमदाद करने के बदले दिनांक 19.09.22 को वक्त सत्यापन 5000/रूपये व वक्त ट्रेप दिनांक 18.10.22 को पुलिस थाना पीलीबंगा में 5000/रूपये बतौर रिश्वत राशि के प्राप्त किये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि आरोपी के मेज की दराज में रखे एक सफेद रफ कागज के उपर से बरामद की गई, आरोपी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब व कागज से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी व मटमैला प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी सुरेश कुमार मुख्य आरक्षक न. 115 पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी कलविन्द्र सिंह से दौराने सत्यापन 5,000/रूपये व वक्त ट्रेप 5000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का घटित होना पाये जाने पर आरोपी सुरेश कुमार मुख्य आरक्षक न. 115 पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(भुपेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
श्रीगंगानगर–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश कुमार, हाल हैड कानि. नम्बर 115, पुलिस थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 415/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3609-14 दिनांक 19.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला हनुमानगढ।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

19.10.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।